

शपथ पत्र**आरक्षित सीट /EWS सीट पर प्रवेशित / चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत**

में श्री/श्रीमती/कुमारी व्यवसाय राज्य..... उम्र वर्ष... जिला निवासी ...शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि तहसील

1. मेरे द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS के लिए आरक्षित सीट / लाभ /सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/ था।
2. मेरा चयन आरक्षित सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।
3. मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS को होने के संबंध में(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र /EWS प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
5. कदाचित उपर्युक्त प्रमाण पत्र/ सत्यापन प्रमाण पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति / शासन द्वारा गठित समिति /सक्षम अधिकारी मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जांच करती है अथवा गहन जांच हेतु सामाजिक प्रास्थिति/EWS प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति / शासन द्वारा गठित समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति/EWS प्रमाण पत्र के संबंध में की गई जांच व पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा सामाजिक प्रास्थिति/EWS प्रमाण पत्र के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति /EWS प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित सीट/EWS सीट के अध्ययधीन मेरा प्रवेश / चयन/ प्रदत्त लाभ / सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित शैक्षणिक संस्था / राज्य शासन का नाम) द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन / चयन/प्रदत्त लाभ /सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊंगा तथा उक्त राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /EWS (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 / भारतीय न्याय संहिता/अन्य कोई भी विधि के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर -----

सत्यापन

में श्री/श्रीमती / कुमारी आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ।

हस्ताक्षर -----